न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 93/2023
वादी :–

1. रामनिवास पुत्र मदनलाल जाति बावरी निवासी 676 लक्ष्मणनगर रमजानजी का हत्था नांदडी जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. जगदीश पुत्र स्व.अमराराम
2. पप्पूराम पुत्र स्व. अमराराम
3. छोटूराम पुत्र स्व. अमराराम
4. श्यामलाल पुत्र स्व. अमराराम जातियान बावरी निवासीगण बाला हाल मुकाम ग्राम सिंधीपुरा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर
5. श्रीमति शारदा देवी पुत्री स्व. अमराराम जाति बावरी निवासी सिंधीपुरा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर
6. श्रीमति बाया उर्फ दरियाव पत्नी स्व. अमराराम जाति बावरी निवासी बाला हाल मुकाम ग्राम सिंधीपुरा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :– वादी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या– 1 से 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी संख्या– 7 सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :–** 13/01/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बाला तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 290/12 रकबा 0.4288 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 308 रकबा 1.7474 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 313 रकबा 2.1762 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 316/6 रकबा 0.9546 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 5.3070 हैक्टेयर आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी 1/2 हिस्सा वादी का तथा 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या–1 का तथा 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या–2 का तथा 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या–3 का तथा 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या–4 का तथा 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का तथा 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। विवादग्रस्त भूमि सयुक्त खातेदारी की होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा वादी के हक व हिस्से की भूमि में काश्त करने में दखल करने से पक्षकारों में विवाद रहता है इस कारण वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने के लिए कहा, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 6 इसके लिए तैयार नही हुये तो वादी का दावे के पद संख्या 1 की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से वादी की खातेदारी में दर्ज कराने के लिए यह दावा पेश करना पड़ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 वादी को उनके हिस्से की भूमि पर काश्त करने में अड़चने पैदा कर रहे है, इस कारण वादी को अपने हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से खातेदारी में दर्ज की गयी भूमि में वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखल पैदा नही करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को पाबन्द करने के लिए

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

स्थाई निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश करना पड़ रहा है। वाद कारण विवादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा बादी के कब्जे व काश्त में दिनांक 01.09.2023 को दखल करने पर तथा तहसील में चलकर आपसी सहमति सें बंटवाड़ा करने के लिए तैयार नहीं होने पर मुकाम ग्राम बाला तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो निरन्तर जारी है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम बाला तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि ग्राम बाला तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 290/12 रकबा 0.4288 हैक्टयर, खसरा नम्बर 308 रकबा 1.7474 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 313 रकबा 2.1762 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 316/6 रकबा 0.9546 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 5.3070 हैक्टेयर का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स बंटवाड़ा किया जाकर 1/2 हिस्सा वादी की भूमि अलग से वादी की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावे । प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो वादी के बंट एवं हिस्से की भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे तथा न अन्य किसी से करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का दावा दिनांक 23.09.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम बाला तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 290/12 रकबा 0.4288 हैक्टयर, खसरा नम्बर 308 रकबा 1.7474 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 313 रकबा 2.1762 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 316/6 रकबा 0.9546 हैक्टेयर कुल खसरा 4 कुल रकबा 5.3070 हैक्टेयर का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर वादी के 1/2 वां हिस्सा की भूमि का बंटवाडा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र.सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा
1	रामनिवास पुत्र मदनलाल हिस्सा पूर्ण जाति बावरी सा.चान्दडी खातेदार	290/12 308 313 316/6	0.2144 0.8737 1.0881 0.4773
	कुल खसरा	4	2.6535 हैक्ट
2	अमराराम पुत्र हरीराम हिस्सा पूर्ण जाति बाबरी सा.देह खातेदार	290/12 308 313 316/6	0.2144 0.8737 1.0881 0.4773
	कुल खसरा	4	2.6535 हैक्ट

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उक्त सारणी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की

इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादी के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 13/01/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**
रामनिवास जगदीश वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :– 93 / 2023

निर्णय **दिनांक :–** 13/1/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 7 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13/1/25 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा